

राजस्थान पत्रिका २५.०७.२५

## राजस्थान आवासन मण्डल

### संशोधित सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की महिला आवासीय योजना एवं वाटिका आवासीय योजना हेतु वरीयता निर्धारण लॉटरी दिनांक 30.07.2024 को प्रातः 11.00 बजे "वेब बेस्ड प्रणाली" द्वारा कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, सेक्टर-05, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में आयोजित किया जाना प्रस्तावित थी। लॉटरी कार्यक्रम की विज्ञप्ति दिनांक 16.07.2024 को राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी। उक्त वरीयता निर्धारण लॉटरी अपरिहार्य कारणों से दिनांक 30.07.2024 के स्थान पर दिनांक 01.08.2024 को प्रातः 11.00 बजे वृत्त-प्रथम कार्यालय में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। शेष शर्तें यथावत रहेगी।

राज.संवाद/सी/24/2698

उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जयपुर

## कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम

राजस्थान आवासन मण्डल, सेक्टर-05, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

क्रमांक : उप.आ.आ.-प्र/2024-25/3257

दिनांक : 31/07/2024

### -:: आवश्यक सूचना ::-

राजस्थान आवासन मण्डल की महिला आवासीय योजना एवं वाटिका आवासीय योजना हेतु वरीयता निर्धारण लॉटरी दिनांक 30.07.2024 को प्रातः 11.00 बजे "वेब वेस्ट प्रणाली" द्वारा कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, सेक्टर-05, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में आयोजित किया जाना प्रस्तावित थी। लॉटरी कार्यक्रम की विज्ञप्ति दिनांक 16.07.2024 को राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र प्रकाशन किया गया था तथा उक्त लॉटरी दिनांक 30.07.2024 के स्थान पर दिनांक 01.08.2024 को करने हेतु संशोधित सूचना की विज्ञप्ति दिनांक 16.07.2024 को राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र प्रकाशन किया गया था।

उक्त वरीयता निर्धारण लॉटरी में वाटिका आवासीय योजना के विशिष्ट पंजीकरण योजना-2024 के अल्प आय वर्ग के 5 आवासो एवं स्ववित्त पोषित योजना-2024 के मध्यम आय वर्ग-अ के 20 आवासों की वरीयता निर्धारण लॉटरी को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। महिला आवासीय योजना की लॉटरी पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार यथावत रहेगी।

शेष शर्तें यथावत रहेगी।

उप आवासन आयुक्त  
वृत्त-प्रथम, रा.आ.मं., जयपुर